



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 31 -अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2014

दिनांक: 04 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 164-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पा०का०लि०/2014 दिनांक 03.03.2014 द्वारा मुख्य अभियन्ता, स्तर-2(जानपद) के एक पद को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1(जानपद) के वैयक्तिक पद के रूप में उच्चीकृत किये जाने के अनुक्रम में एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में निम्नांकित मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (जानपद) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) (जानपद) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्री सुभाष चन्द्र-7714 बागपत, 31.05.2014	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2(जानपद) पारेषण-प्रथम लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1(जानपद) पारेषण-प्रथम लखनऊ

2. श्री सुभाष चन्द्र (7714), मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, (जानपद) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, (जानपद) के वैयक्तिक पद के रूप में उच्चीकृत पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ श्री सुभाष चन्द्र को प्रोन्नति दी जाती है कि श्री सुभाष चन्द्र की सेवानिवृत्ति की तिथि 31-05-2014 के उपरान्त यह मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) (जानपद) का पद स्वतः मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (जानपद) के पद में परिवर्तित हो जायेगा।

3. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2(जानपद) के प्रश्नगत पद को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, (जानपद) में उच्चीकृत किये जाने की सूचना शासन को प्रेषित की गयी है इसके सन्दर्भ में यदि शासन से कोई प्रतिकूल आदेश प्राप्त होते हैं तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पा०का०लि०(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

संख्या: 31-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2014 तददिनांक

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रांसमिशन का०लि०।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,
(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)
उप सचिव